

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 540
दिनांक 28.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण संबंधी आंकड़ा

†540. श्री खलीलुर रहमान:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के तहत 2019 से अब तक वर्ष-वार कितने शौचालय बनाए गए हैं;
- (ख) क्या सरकार ने उन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया है या प्रस्ताव करने पर विचार किया है कि आधिकारिक वेबसाइटों पर स्वच्छ भारत मिशन-शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए रिपोर्ट किया गया तीस प्रतिशत आंकड़ा गढ़ा गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने उन दावों की जांच की है कि 2019-24 के बीच निर्मित बताए गए बारह लाख शौचालय वास्तव में फर्जी हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (च) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए उठाए जा रहे हैं कि आंकड़ों की गलत ढंग से प्रस्तुति जारी नहीं रहे?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर सूचित किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 से अब तक 2.69 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया है। निर्मित आईएचएचएल की वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	निर्मित आईएचएचएल की संख्या
2019-20	1,10,93,733
2020-21	48,95,481
2021-22	22,46,128
2022-23	27,33,486

2023-24	38,99,933
2024-25 (22.11.2024 तक)	20,76,473
कुल	2,69,45,234

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, 2019 से निर्मित शौचालयों के संचयी आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) यूनिट (लाख में)	सामुदायिक शौचालय (सीटी)/सार्वजनिक शौचालय (पीटी) (सीटें लाख में)
2014 से 2019	61.14	5.68
2020	62.30	5.96
2021	62.64	6.20
2022	62.79	6.27
2023	63.09	6.36
2024	63.71	6.36

(ख) से (च) एसबीएम (जी) के अंतर्गत विनिर्मित आंकड़ों के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शौचालयों की जियो-टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्मित डेटा में कोई सेंध न हो। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, एसबीएम-यू की आधिकारिक वेबसाइट पर डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भरी गई जानकारी/डेटा के आधार पर दर्शाया गया है और डेटा के विनिर्माण पर ऐसी कोई रिपोर्ट उनके ध्यान में नहीं आई है।
